

पं.क.

संख्या-713/15-7-08-18(20)/2008

ममता श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

विषय :- सेण्ट पाल इण्डिका शाहजहाँपुर को सीओबीएसओईओ नई दिल्ली से संबद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

जखनऊ, दिनांक 19 मार्च, 2008

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का
निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सीओबीएसओईओ नई दिल्ली से संबद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन
आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की परीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया
जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के
मेनावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा
परिषद/वेस्तिफ शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के
लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और
यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा
विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/
कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त
होती है तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०
माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त
अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त
शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से
कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का
लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

J. Royal
Manager

St. Paul's Inter College
13-Cantt., Shahjahanpur
U.P.-242 001

—2—
Modi
Principal

St. Paul's Inter College
13 Cantt., Shahjahanpur
U.P.-242 001

- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

नवदीप,

(ममता श्रीवारस्तव)
उप सचिव।

प०संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक(मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय सयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहाँपुर।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल नारतीय विद्यालय ३०९०, लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रबंधक, सेण्ट पाल ३०९० शाहजहाँपुर।
- 6- गार्ड हुक ।

आशा सं.

ममता
(ममता श्रीवारस्तव)
उप सचिव।

J. Royal
Manager

St. Paul's Inter College
13-Cantt., Shahjahanpur
U.P.-242 001

M. Singh
Principal

St. Paul's Inter College
13 Cantt., Shahjahanpur
U.P.-242 001